।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–निरी / 170 / 85–86 / पार्ट–7 / 2018 / 50960-51070 दिनांकः– 10.03.2018

–:परिपत्रः–

सामान्यतः यह देखने में आता है कि राज्य की कारागृहो में तलाशी के दौरान निषिद्ध सामग्री प्राप्त होती है जिसका प्रकाशन समय–समय पर समाचार पत्रो में होता है। जिससे जनमानस में कारागार विभाग की कार्यप्रणाली एवं क्षमता के संबंध में नकारात्मक छवि बनती है जिससे कारागार विभाग के कार्मिको का मनोबल भी विपरीत रुप से प्रभवित होता है। अतः विभाग की कार्य कुशलता एवं छवि को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्मिको का यह दायित्व है कि ऐसी निषिद्ध सामग्री कारागृहो में न पहुचे। यद्यपि कारागृह की अवस्थिति एवं कार्य संचालन की जटिलता को देखते हुए यह संभव है कि सभी प्रयासो के बाद भी अपवाद स्वरुप कुछ निषिद्ध वस्तुए कारागृह के भीतर प्रविष्ट हो सकती है। अतः कारागृह अधिकरियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण / सघन तलाशी की जाकर निषिद्ध सामग्री बरामद की जावे। यदि कारागृह में नियमित तलाशियों में कोई निषिद्ध सामग्री बरामद की जाती है और उसकी सूचना मुख्यालय कारागार को दी जाती है, तो बरामद करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जावेंगी तथा जिन कार्मिकों की निषिद्ध सामग्री बरामद करने में सराहनीय भूमिका रही है, उनके प्रशंसा पत्र के प्रस्ताव मय अभिशंषा के प्रेषित किया जावें, परंतु यदि जांच अधिकारी द्वारा जांच करने पर किसी अधिकारी / कार्मिक को लापरवाही अथवा मिलीभगत होने का दोषी होना पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध निश्चित रुप से कठोर कार्यवाही की जावेगी। उक्त के पश्चात भी यदि किसी बाहरी ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की निषिद्ध सामग्री बरामद की जाती है तो उसमें निश्चित रुप से संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। अतः सभी को अपनी ड्यूटी सर्तकता एवं निष्ठा से करनी चाहिए। जिससे जेल विभाग की स्वच्छ छवि एवं आम जनता में विभाग के प्रति विश्वास बना रहे।

(भूपेन्द्र सिंह)
अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार
महानिदेशालय कारागार,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
2. निजी सचिव, अति0 महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
6. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
7. उपाधीक्षक, महिला बन्दी सुधार गृह, जयपुर/जोधपुर।
8. प्रभारी, किशोर बन्दी सुधार, गृह जैतारण।
9. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार राजस्थान जयपुर को वास्ते विभागीय वेब साइट/राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
10. प्रभारी परिवाद शाखा /सामान्य शाखा/विभागीय जांच प्रकोष्ठ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।

अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार
महानिदेशालय कारागार,
राजस्थान जयपुर